4786/19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTA

AR 32598

19

9247

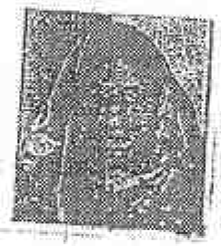

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1	भूमि का प्रकार	: कृषि
2	परगना	: लखनऊ
3	ग्राम	: सरसवा
4	सम्पत्ति का विवरण	आराजी भूमि खसरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 325961

19 MAR 20

2

		नम्बर—865
		का सम्पूर्ण क्षेत्रफल
5.	मापन की इकाई	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	: 0.1010 हेक्टेअर
7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि भूमि
8.	बोरिंग / कुआं / अन्य	: नहीं
9.	निर्मित क्षेत्रफल	: नहीं
10.	पेड़ों की संख्या	: नहीं
11.	मुख्य मार्ग	: सुल्तानपुर रोड से लगभग

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 3259

3

500 मीटर की दूरी पर

12. विलेख का प्रकार : विक्रय पत्र

13. प्रतिफल की धनराशि : रू0 13,13,000/-

14. बाजारू मूल्य : रू0 13,13,000/-

15. स्टाम्प शुल्क : रू0 92,000/-

चौहद्दी

खसरा भूखण्ड संख्या-865, क्षेत्रफल-0.1010 हेक्टेअर स्थित ग्राम-

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 325

19

सरसवां, परगना–लखनऊ, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–

पूरब	:	खसरा संख्या – 864 एवं 866
पश्चिम	:	खसरा संख्या – 800 एवं 802
उत्तर	:	खसरा संख्या – 799
दक्षिण	:	खसरा संख्या – 801

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 325

प्रथम पक्ष की संख्या– (5)	द्वितीय पक्ष की संख्या (1)
1. प्यारे पुत्र श्री जानकी 2. विश्वनाथ, 3. मनोहर लाल, 4. केदार पुत्रगण स्व0 बाबादीन 5. श्रीमती सुमन, पत्नी श्री दयाराम, समस्त निवासीगण– मचलखेड़ा ग्राम–, सरसवां, परगना–लखनऊ, तहसील व जिला– लखनऊ।	रंजीत कुमार, पुत्र श्री रामनाथ, निवासी– भवन संख्या– 2, यूसुफनगर, बनियामऊ, लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 325

MAR

विक्रय पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक— 26 माह मार्च वर्ष 2014 ई0 को 1. प्यारे पुत्र श्री जानकी, 2 विश्वनाथ, 3. सत्रोहन लाल 4. केदार पुत्रगण स्व0 बाबादीन, 5. श्रीमती सुगन पत्नी श्री दयाराम समस्त निवासीगण— मवलखेड़ा ग्राम—सरसावां, परगना—लखनऊ, तहसील व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 337

जिला– लखनऊ। (जिन्हें आगे "विक्रेतागण" कहा गया है एवम् जो इस विलेख में "प्रथम पक्ष" है) के द्वारा रंजीत कुमार, पुत्र श्री रामनाथ, निवासी– भवन संख्या– 2, यूसुफनगर, बनियामऊ, लखनऊ, जिन्हें आगे "क्रेता" कहा गया है जो इस विलेख में "द्वितीय पक्ष" है, के पक्ष में निष्पादित किया गया–

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 337

3 MAR

विदित हो कि विक्रेतागण भूमि खसरा भूखण्ड संख्या— 865, क्षेत्रफल— 0.1010 हेक्टेयर ग्राम— सरसवां, परगना—लखनऊ, तहसील व जिला—लखनऊ के एकमात्र स्वामी व अध्यासी हैं, जिसे उनके द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त किया गया है तथा विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों मे बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 337

उपरोक्त आराजी विक्रेतागण के तनहा कब्जे व दखल मालिकाना में आज भी मौजूद है, जिसे हर प्रकार से उपभोग, भारग्रस्त व अन्तरित आदि करने के समस्त अधिकार विक्रेतागण को प्राप्त है। आराजी उपरोक्त हर प्रकार के भार व अन्तरण जैसे विक्रय, दान, जमानत, बंधक, ऋण, मुकदमा, कुर्की, डिग्री, अधिग्रहण व इकरारनामा आदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 406

11 MAR 2

से बरी व पाक–साफ है। अतः विक्रेतागण उसी भूमि खसरा भूखण्ड संख्या– 800, क्षेत्रफल– 0.1010 हेक्टेयर ग्राम– रारसवां, परगना–लखनऊ, तहसील व जिला– लखनऊ, मजकूरे बाला महदूदा जैल मिल्कियत व हकीयत अपनी के मय कुल हक व हकूक व हदूद दाखिली व खारिजी व जो कुछ भी उससे सम्बन्धित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 3451

11

है, बिना छोड़े किसी चीज व हक व जुज के खूब सोच व समझ कर अपनी खुशी व रजामन्दी से, अपने स्वस्थ मन मस्तिष्क की दशा में, बिना किसी डर व दबाव के, बिलएवज मु0 रु0 13,13,000/— (तेरह लाख तेरह हजार) कि आधे जिसके मु0 रु0 6,56,500/— (छः लाख छप्पन हजार पांच सौ रुपये) होते हैं बदस्त क्रेता/द्वितीय पक्ष कतई विक्रय कर दिया और कुल विक्रय मूल्य

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अन्त में वर्णित प्रकार से विक्रेतागण ने क्रेता उपरोक्त से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना बजाये कब्जा स्वयं विक्रेतागण ने ~~क्रेता~~ उपरोक्त को अपने समान बखूबी करा दिया। अब विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण का कोई दावा व हक बाबत आराजी बय शुदा उपरोक्त व विक्रय मूल्य उपरोक्त से बाकी नहीं रहा और न

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 345[illegible]

ही भविष्य में होगा। अगर कोई व्यक्ति दावा करे तो उसका दावा व हक इस विक्रय पत्र के समक्ष निष्प्रभावी होगा। अगर किसी की दावेदारी व हकदारी व उजरदारी से आराजी उपरोक्त का कुल या कुछ भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से निकल जाये या कब्जा न मिले तो ऐसी प्रत्येक स्थिति में क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह अपना कुल [illegible], मय हर्जा, खर्चा, लागत व नुकसान वगैरह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 5461

विक्रेतागण की जात खास व हर प्रकार की जायदाद चल व अचल व वारिसान विक्रेतागण से द्वारा न्यायालय वसूल कर लेवे। इसमें विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण को आपत्ति करने का अधिकार न होगा।

अब आज की तारीख के बाद से विक्रेतागण उपरोक्त या उसके किसी वारिसानों व विधिक उत्तराधिकारी का कोई हक या

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 3451

15

हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूखण्ड या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का बाकी नही रहा। अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूखण्ड या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध मे केता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 325

विक्रेतागण एवं क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं ।

विक्रीत आराजी मुख्य मार्ग, राज मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत आराजी सुल्तानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी पर है ।

आराजी बय में कोई स्थायी अथवा अस्थायी निर्माण नहीं है एवं विक्रीत आराजी में कोई कुंआ, पेड़, तालाब, बोरिंग इत्यादि नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 3259

शब्द "विक्रेतागण" एवं "क्रेता" का अर्थ एवं तात्पर्य उनके विधिक वारिसान, उत्तराधिकारी एवं विधिक प्रतिनिधिय से है।

उपरोक्त विक्रीत आराजी की बाजारू मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा 1,00,00,000/– प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है चूंकि विक्रीत भूमि की 50 मीटर से दूर परन्तु 200

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रू.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 3259

भीतर त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां है, अतः उपरोक्त दर में 30प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि करते हुये, जिसके अनुसार दर रू0 1,30,00,000/— प्रति हैक्टेयर ~~होती है~~, विक्रीत कृषि भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 0.1010 हैक्टेअर है, की बाजारू मालियत उपरोक्त दर से मुवलिक रू0 13,13,000/— होती है, जो कि विक्रय मूल्य के

24198 2371114

[illegible] 2014

श्री मुकेश बी.यू.आर. केदार
पुत्र श्री केदार
पेशा कृषि
निवासी मवैयाखेड़ा ग्राम बरवली पर.महो निला
लखनऊ

श्रीमती सुमन
पत्नी श्री दयाराम
पेशा गृहिणी
निवासी मवैयाखेड़ा ग्राम बरवली पर.महो निला
लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री संजय तिवारी
पुत्र श्री पी.एन.तिवारी
पेशा व्यापार
निवासी मंदिर एल. ज्योतिषीपुरम, लखनऊ
व श्री ओ.पी.मिश्रा एड. सिविल कोर्ट, लखनऊ
पुत्र श्री
पेशा वकालत
निवासी
ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.के.पाण्डेय
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
28/3/2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 8079

19

बराबर है, अतः उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या सं.वि.क. नि.–5–2756/11–2000–500(165)/2007 दिनांक 30 जून 2008 के अनुसार बाजारू मूल्य पर ही भुगतेय रू0 92,000/– मात्र का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। उपरोक्त विक्रीत भूखण्ड के

क्रमांक संख्या 21128 दिनांक 26/3/14

स्टाम्प विक्रेता

लखनऊ

लाइसेंस नं. 12 दिनांक 31-03-2016

विक्रय पत्र

1,313,000.00 / 1,313,000.00

प्रतिफल मालियत

10,000.00	20	10,020.00	1,000
फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री प्यारे

पुत्र श्री स्व.मातादीन

व्यवसाय कृषि

निवासी स्थायी मवइयाखेड़ा ग्राम सरसवाँ पर.तह.व जिला लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 26/3/2014 समय 3:20PM

बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस0 के0 पाण्डेय

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

26/3/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री प्यारे

पुत्र श्री स्व.मातादीन

पेशा कृषि

निवासी मवइयाखेड़ा ग्राम सरसवाँ पर.तह.व जिला लखनऊ

क्रेता

श्री राजीव कुमार

पुत्र श्री रामनाथ

पेशा कृषि

निवासी भवन सं.2,मुकुन्दनगर ... लखनऊ

श्री विश्वनाथ

पुत्र श्री स्व.मातादीन

पेशा कृषि

निवासी मवइयाखेड़ा ग्राम सरसवाँ पर.तह.व जिला लखनऊ

श्री मनोहर लाल

पुत्र श्री स्व.मातादीन

पेशा कृषि

निवासी मवइयाखेड़ा ग्राम सरसवाँ पर.तह.व जिला लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 807931

20

सम्बन्ध में विक्रेतागण एव क्रेता के मध्य पूर्व मे कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नही किया गया है। विक्रीत भूखण्ड किसी भी योजना के अन्तर्गत अधिगृहीत नहीं किया गया है। विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र मे स्थित है विक्रीत भूमि का नक्शा साथ में संलग्न है जो इस विक्रय विलेख का अंश है।

विक्रेता

Registration No. 4786 Year 2014 Book No. 1

0105 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

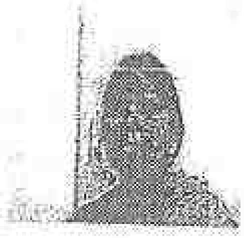

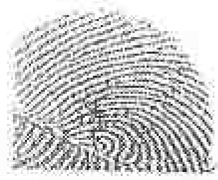

यह कि विक्रेता संख्या–4 केदार वृद्धावस्था के कारण व्यक्तिगत रूप से विलेख निष्पादन एवं निबंधन करा सकने में असमर्थ हैं अतः उनके द्वारा अपने पुत्र मुकेश पुत्र श्री केदार निवासी मवैयाखेड़ा, सरसवां, परगना, तहसील व जिला लखनऊ के पक्ष में पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक–26.11.2013 निष्पादित किया गया है जो कि उपनिबंधक कार्यालय लखनऊ में पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–14653 पृष्ठ संख्या–125 से 132 पर क्रमांक 17480 दिनांक–27.11.2013 पर निबंधित है जो अभी तक विधिमान्य है, अपास्त नहीं हुई है।

विक्रीत भूखण्ड का विस्तृत विवरण

खसरा भूखण्ड संख्या– 865, क्षेत्रफल– 0.1010 हेक्टेयर ग्राम– सरसवां, परगना–लखनऊ, तहसील व जिला– लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है–

पूरब	खसरा संख्या – 864 एवं 866
पश्चिम	खसरा संख्या – 800 एवं 802
उत्तर	खसरा संख्या – 799
दक्षिण	खसरा संख्या – 861

विक्रय मूल्य प्राप्ति का विवरण

कुल– रू0 13,13,000/– (रू0 तेरह लाख तेरह हजार मात्र) क्रेता उपरोक्त से विक्रेतागण ने विक्रय निष्पादन से पूर्व प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण इस विक्रय–विलेख के माध्यम से स्वीकार करते है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में क्रेता से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष निम्न गवाहान पक्षकारों ने अपने–अपने हस्ताक्षर बनाकर उपरोक्त लिखित तिथि, माह एवं वर्ष

विक्रेता

Registration No.: 4780 Year: 2,014 Book No.: 1

0101 भारी

स्व.रामबदीन

मगलखेड़ा ग्राम सरसवां पर.व तह.व जिला लखनऊ

कृषि

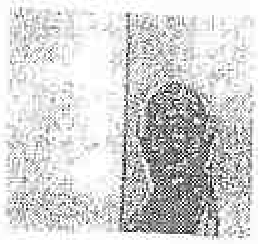

0102 शिवप्रसाद

स्व.रामबदीन

मगलखेड़ा ग्राम सरसवां पर.व तह.व जिला लखनऊ

कृषि

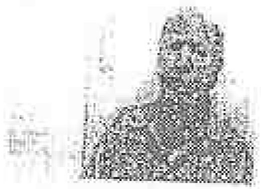

0103 राजेन्द्र प्रसाद

स्व.रामअवतार

मगलखेड़ा ग्राम सरसवां पर.व तह.व जिला लखनऊ

कृषि

0104 मुकेश बाई-मु.आम किदार

कदार

मगलखेड़ा ग्राम सरसवां पर.व तह.व जिला लखनऊ

कृषि

को निष्पादित करके निबन्धीकृत करा दिया ताकि प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में काम आवे।

गवाहान–

1\. [signature]
L.K.O

1\. (प्यारे)

2\. (विश्वनाथ)

3\. (शत्रोहन लाल)

4\. (केदार द्वारा मुख्तारेआम मुकेश)

5\. (श्रीमती सुमन)
विक्रेतागण

2\. O. P. Mishra
Advo
Civil Court LKO

(रंजीत कुमार)
क्रेता

प्रालेखक....
(ए.बी. सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ
लखनऊ
चै0 तृतीय तल बाला जी
काम्पलेक्स, सेक्टर–2 विकास नगर
लखनऊ
अधि0पंजीयन संख्या–1717 / 1994
मो0नं0–9235510160

टाईपकर्ता:

(वेद प्रकाश मिश्रा)
सिविल कोर्ट,

क्रेता

Registration No. : 4736 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 [illegible] कुमार

[illegible]

[illegible]

[illegible]

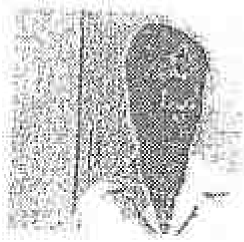

... ग्राम - ... परगना - लखनऊ
तहसील - लखनऊ जनपद - लखनऊ ... / 2004-2005 ई.

10.10.07
10.10.07
3/9/12

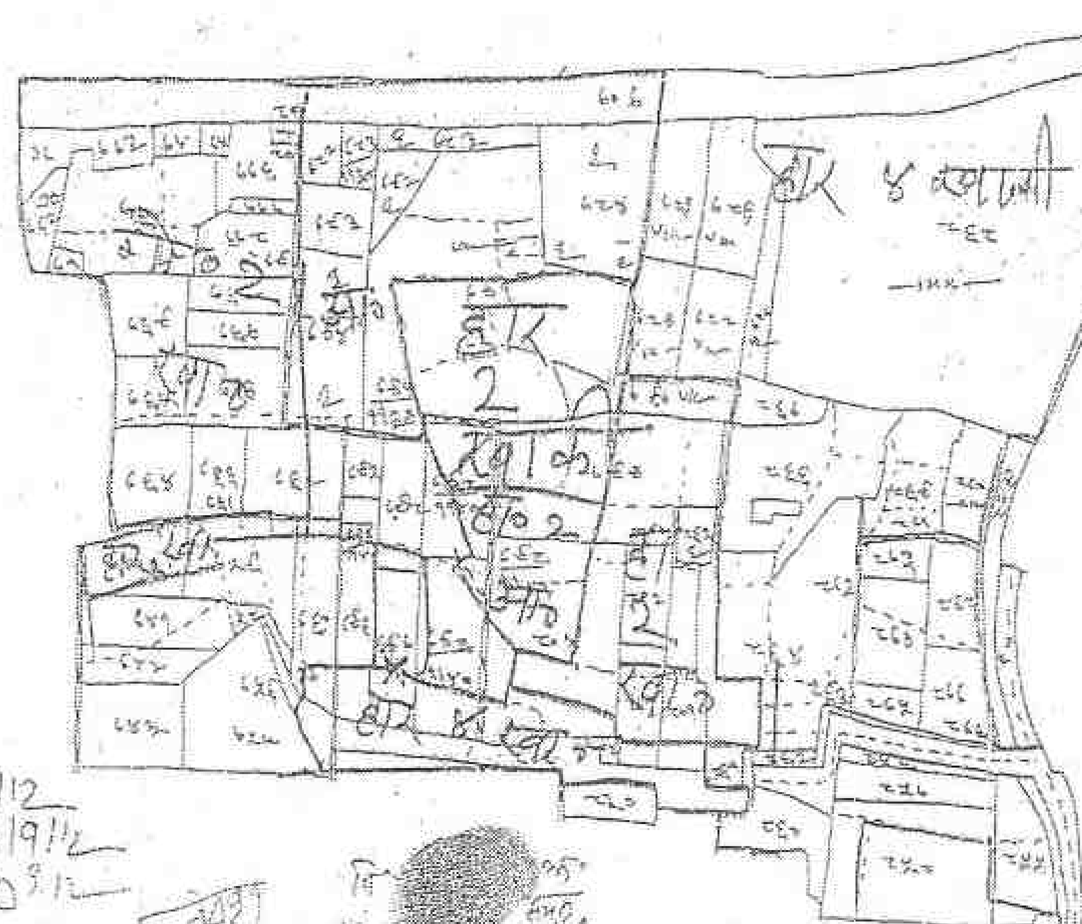

3/9/12
4/9/12

पैमाना 16 इंच = 1 मील

4/9/12